तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2828/2005/बीकानेर गोरधनसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री एन0के0गोयल, अधिवक्ता, अपीलान्ट
श्री आर0पी0शर्मा, उप राजकीय अधिवक्ता, सरकार

...

निर्णय

दिनांकः– 07–3–2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'अधिनियम'1956) की धारा 76 के तहत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन कम राजस्व अपील प्राधिकारी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–3–2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय विवादग्रस्त भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किये जाने के आधार पर नायब तहसीलदार, गजनेर 1 ने अपने निर्णय दिनांक 20–2–2004 द्वारा प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी, लगान की राशि 2–20 का 50 गुना 110/– रूपये तावान तथा तीस दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन कम राजस्व अपील प्राधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–3–2015 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस अपील के संबंध में सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2828/2005/बीकानेर गोरधनसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विरुद्ध न्याय, नियम व कानून हैं। उनका कथन है कि कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाई गई शास्ति की राशि का भुगतान करने को तैयार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी बेदखली की कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त समस्त तथ्यात्मक परिवेश में आक्षेपित निर्णय दिनांक 19-3-2005 एवं नायब तहसीलदार गजनेर द्वारा पारित आदेश 20-2-2004 निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का घोर विरोध करते हुए कहा कि समस्त अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्यायसंगत, तर्कसंगत तथा विधि सम्मत है। उक्त पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने बाबत अपीलार्थी ने किसी प्रकार के ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किए है। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का स्पष्ट रूप से दोषी पाये जाने की स्थिति में ही अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित किए हैं। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की प्रवृत्ति रही है कि वह लगातार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करता आ रहा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालयों ने राजकीय भूमि पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया है तथा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्णय पारित किए है, जो कि यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखने की प्रार्थना की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2828/2005/बीकानेर गोरधनसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमनें अपीलार्थी एवं उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया है। यह तथ्य तो निर्विवाद है कि अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। हमनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित हुआ है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है लेकिन अपीलार्थी ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है और भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने की अण्डर–टैकिंग दिये जाने के लिए कहा है। इसलिये न्याय–हित में यह अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को दी गई सिविल–कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से दो माह की अवधि में संबंधित नायब तहसीलदार, गजनेर के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवे कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा कतई हटा लिया गया है और यह अण्डर–टैकिंग भी प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार, गजनेर उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगें। यदि अपीलार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत् रहेंगा। उपरोक्तानुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में अपीलार्थी को दी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/2828/2005/बीकानेर गोरधनसिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गई सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी पर लगाई गई शास्ति एवं बेदखली को यथावत् रखा जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा)** **सदस्य**	